रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13092021-229578
CG-DL-E-13092021-229578

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 263] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 13, 2021/भाद्र 22, 1943
No. 263] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 13, 2021/BHADRA 22, 1943

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2021

मामला सं. एडी (एसएसआर)-18/2021

विषय : बंगलादेश और थाइलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए "हाइड्रोजन पैरोक्साइड" के आयातों के संबंध में निर्णायक सुरक्षा जांच की शुरूआत।

फा. सं. 7/22/2021-डीजीटीआर.—मैसर्स नेशनल पैरोक्साइड लिमि. (जिसे आगे "आवेदक" अथवा "याचिकाकर्ता" भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथा-संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय-समय पर यथा-संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष बंगलादेश और थाइलैंड (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा से निर्यातित "हाइड्रोजन पैरोक्साइड" (जिसे आगे "संबद्ध वस्तु" या "विचाराधीन उत्पाद" भी कहा गया है) के आयातों पर लगाये गये पाटनरोधी शुल्क के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया गया है।

2. इस अधिनियम की धारा 9क (5) के संबंध में, लगाया गया पाटनरोधी शुल्क, यदि उसे पूर्व में रद्द नहीं किया गया हो, ऐसे अधिरोपण की तिथि से 5 वर्षों के समाप्त होने पर लागू नहीं रहेगा और प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस बात की समीक्षा करें कि क्या शुल्क के समाप्त होने के फलस्वरूप पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना है। उसके अनुसार, प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से किय गये विधिवत प्रमाणित अनुरोध के आधार पर इस बात की समीक्षा करें कि क्या शुल्क के समाप्त होने के फलस्वरूप पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना है।

3. आवेदक ने यह आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का पाटन पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने के बाद भी जारी रहा है और यह कि शुल्कों के समाप्त होने की स्थिति में पाटन और क्षति के जारी रहने/ उसके फिर से होने की संभावना है। आवेदक संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यात किये गये संबद्ध वस्तुओं के आयातों के शुल्कों के विस्तार के लिए अनुरोध किया है।

4. आवेदक ने याचिका में संगत सूचना उपलब्ध कराई है। याचिका की जांच सूचना की पर्याप्तता और पाटन के साक्ष्य और परिणामी क्षति के लिए जांच की शुरुआत को सही ठहराने के लिए की गई है। चूंकि यह याचिका विधिवत दस्तावेज के रूप में है और इसमें पाटन और क्षति यदि मौजूदा शुल्क को समाप्त होने दिया जाता है, की संभावना का पर्याप्त प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य निहित है, प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यात किये गये संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पहले से लगाये गये पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करते हैं।

क. पृष्ठभूमि

5. बंगलादेश, ताइवान, कोरिया गणराज्य, इण्डोनेशिया, पाकिस्तान और थाइलैंड से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में मूल पाटनरोधी जांच की शुरुआत प्राधिकारी द्वारा दिनांक 14 जनवरी, 2016 की अधिसूचना सं. 14/3/2015 – डी जी ए डी के संदर्भ में की गई थी। प्राधिकारी द्वारा अंतिम जांच परिणाम दिनांक 11 अप्रैल, 2017 की अधिसूचना सं. 14/03/2015 - डी जी ए डी के माध्यम से जारी किया गया था जिसके द्वारा प्राधिकारी ने यह पाया कि इण्डोनेशिया को छोड़कर सभी संबद्ध देशों से आयात किये गये संबद्ध वस्तुओं का पाटन भारत में किया जा रहा है और इसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है। प्राधिकारी द्वारा अंतिम जांच परिणामों में की गई सिफारिशों के आधार पर, निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क बंगलादेश, ताइवान, कोरिया, पाकिस्तान और थाइलैण्ड के मूल की अथवा वहां से निर्यात किये गये संबद्ध वस्तु के आयातों पर दिनांक 14 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 28/2017 - सीमाशुल्क (ए डी डी) के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा इस अधिसूचना की तिथि से पांच वर्षों की अवधि के लिए लगाया गया था।

6. उक्त जांच परिणामों को माननीय सेस्टेट के समक्ष चुनौती दी गई थी। दिनांक 20 दिसंबर, 2017 के सेस्टेट आदेश सं. 58470 – 58474/2017 के अनुसरण में, प्राधिकारी ने दिनांक 17 अप्रैल, 2018 की अपने अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 14/3/2015 – डी जी ए डी के माध्यम से क्षति रहित कीमत (एन आई पी) का निर्धारण किया और संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यात किये गये हाइड्रोजन पैरोक्साइड के आयात पर संशोधित पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की। प्राधिकारी द्वारा अंतिम जांच परिणामों में की गई सिफारिशों के आधार पर, संशोधित पाटनरोधी शुल्क केंद्र सरकार द्वारा बंगलादेश, ताइवान, कोरिया, पाकिस्तान और थाइलैण्ड के मूल के अथवा वहां से निर्यात किये गये संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर दिनांक 01 जनू, 2018 की अधिसूचना सं. 33/2018 – सीमा शुल्क के माध्यम से 14 जून, 2017 से पांच वर्षों की अवधि के लिए लगाया गया था। मौजूदा शुल्क 13 जून, 2022 को समाप्त होगा।

7. घरेलू उद्योग ने केवल बंगलादेश और थाइलैण्ड से आयातों पर शुल्क को जारी रखने की मांग करने के लिए निर्णायक समीक्षा जांच के लिए वर्तमान आवेदन दायर किया है।

ख. विचाराधीन उत्पाद

8. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "90 प्रतिशत से कम संकेंद्रण से हाइड्रोजन पैरोक्साइड" है। हाइड्रोजन पैरोक्साइड का उत्पादन अलग अलग संकेंद्रणों में किया जा सकता है। विचाराधीन उत्पाद की बिक्री खुली और पैक की गई स्थितियों दोनों में की जाती है। वाणिज्यिक रूप से, इस उत्पाद का उत्पादन किया जाता है और उसकी बिक्री 35 प्रतिशत, 50 प्रतिशत, 60 प्रतिशत और 70 प्रतिशत संकेंद्रण में की जाती है। इसका सामान्य रूप से

उत्पादन और बिक्री 50 प्रतिशत आधार पर किया जाता है। हाइड्रोजन पैरोक्साइड (एच2ओ2) का उत्पादन हाइड्रोजेनेशन की प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। प्रथम चरण में इस प्रक्रिया के फलस्वरूप लगभग 45 प्रतिशत – 46 प्रतिशत के संकेंद्रण स्तर के साथ एच2ओ2 बनता है। शेष पानी होता है।

9. इस उत्पाद को एच2ओ2 के अपेक्षित संकेंद्रण को प्राप्त करने के लिए डिस्टिल किया जाता है। वाणिज्यिक रूप से इस उत्पाद का उत्पादन और बिक्री 35 प्रतिशत, 50 प्रतिशत, 60 प्रतिशत और 70 प्रतिशत संकेंद्रण में किया जाता है। एच2ओ2 एक बहुत ही जोखिमपूर्ण सामग्री है। इस कारण से, सुरक्षा की दृष्टि से, यह संकेंद्रण यथासंभव कम होना चाहिए। हालांकि, कमतर संकेंद्रण की ढुलाई का अर्थ पानी की ढुलाई पर अतिरिक्त भाड़े का भुगतान करना है। अत:, वाणिज्यिक दृष्टिकोण से संकेंद्रण का स्तर यथासंभव अधिक होना चाहिए।

10. हाइड्रोजन पैरोक्साइड में ठोस ऑक्सीडाइजिंग गुण होते हैं और इस कारण से यह एक शक्तिशाली बिचिंग एजेंट है जिसका उपयोग कीटनाशकों के रूप में, ऑक्सीडाइजर के रूप में और (विशेष कर उच्च संकेंद्रों में जैसे उच्च परीक्षण पैरोक्साइड (एच टी पी) का मानोप्रोपेलेंट के रूप में) और बाईप्रोपेलेंट पद्धतियों में किया गया है और इसका उपयोग गंध नियंत्रण, जंग नियंत्रण, इन ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ऑक्सीडेशन, विषेलापन को कम करने/ बायो डिग्रेबिलिटी में सुधार, कीटाणुनाशक/ जैव नियंत्रण, कागज और गुदा की बिचिंग, पैरोक्साइड और इपोक्साइड का निर्माण, एंटीसेफ्टीक और एंटीबेक्टिरियल एजेंट के रूप में थेराप्यूटिक उपायों में किया जाता है।

11. हाइड्रोजन पैरोक्साइड का वर्गीकरण सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के उपशीर्ष 28470000 के अंतर्गत अध्याय 28 के अंतर्गत किया जाता है। यह भी नोट किया जाना है कि सीमा शुल्क वर्गीकरण सांकेतिक मात्र है और यह किसी भी प्रकार से जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

12. चूंकि वर्तमान याचिका प्राधिकारी की विगत कार्यपद्धतियों तथा स्थापित न्याय शास्त्र के अनुसार निर्णायक समीक्षा जांच है, अत: विचाराधीन उत्पाद वही है जिसे मूल जांच में परिभाषित किया गया है।

13. आवेदक ने संकेंद्रण, पैकिंग सामग्री, कीमत आधार और ग्राहक अवस्थिति/ सुपुर्दगी का क्षेत्र (उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम) पर विचार करते हुए उत्पाद नियंत्रण संख्याओं (पी सी एन) को अपाने के लिए प्रस्ताव किया है। पी सी एन मापदंडों और मूल्यों का उल्लेख नीचे किया गया है। हालांकि हितबद्ध पक्षकार इस जांच के शुरू होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर इस जांच के उद्देश्य से पी सी एन को अंतिम रूप देने के लिए अपनी टिप्पणियां/ सुझाव दे सकते हैं।

क्र .सं.	क्षेत्र का विवरण	विनिर्देश
1	संकेंद्रण	35%
		50%
		60%
		70%
2	कीमत आधार	सुपुर्द किया गया
		एक्स-फैक्ट्री
3	पैकिंग	खुला
		तय किया हुआ
4	सुपुर्दगी का क्षेत्र	उत्तर
		दक्षिण
		पूर्व
		पश्चिम

ग. समान वस्तु

14. आवेदक ने दावा किया है कि उद्योग द्वारा उत्पादन की गई वस्तु भारत को संबद्ध देश से निर्यात किये गये संबद्ध वस्तुओं के सदृश्य है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन की गई संबद्ध वस्तु तकनीकी विनिर्देशनों, निर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य और उपयोग, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा इन वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में संबद्ध देश से आयात किये गये वस्तुओं से तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापन के योग्य हैं और और उन्हें इस नियमावली के अंतर्गत "समान वस्तु" के रूप में माना जाना चाहिए, इस कारण से, वर्तमान जांच के उद्देश्य से, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किये गये संबद्ध वस्तु संबद्ध देश से आयात किये जा रहे संबद्ध वस्तुओं का "समान वस्तु" के रूप में माना जा रहा है।

घ. घरेलू उद्योग और आधार

15. यह आवेदन मै. नेशनल पैरोक्साइड लिमि. द्वारा किया गया है। इसका समर्थन (i) मैसर्स इंडियन पैरोक्साइड लिमि., (ii) मैसर्स हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमि.; (iii) मैसर्स गुजरात एलकलिज एंड केमिकल लिमि., (iv) मैसर्स मेघमनि फाइनकेम लिमि. और (v) मैसर्स केमप्लास्ट सनमार लिमि. द्वारा किया गया है। आवेदक ने द्वारा यह दावा किया गया है कि इसने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का न तो आयात किया है और न ही इसका संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक/ उत्पादक या भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक से संबंध है।

16. रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार, आवेदक का भारत में समान वस्तु के घरेलू उत्पादन में बड़ा हिस्सा है। उपर्युक्त को देखते हुए और उचित जांच के बाद, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आवेदक नियम 2 (ख) के संबंध में पात्र घरेलू उद्योग है और यह आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के संदर्भ में आधार के मानदंड को पूरा करता है।

ड. सामान्य मूल्य

बंगलादेश में सामान्य मूल्य

17. आवेदक ने संबद्ध वस्तुओं की लेन देन वार कीमत घरेलू टैरिफ क्षेत्र से बंगलादेश के भीतर विशेष आर्थिक क्षेत्रों से प्राप्त किया है। वर्तमान जांच की शुरुआत के उद्देश्य से, प्राधिकारी ने बंगलादेश के भीतर घरेलू टैरिफ क्षेत्र से विशेष आर्थिक क्षेत्रों तक लेन देन की कीमतों को अपनाकर संबद्ध देश में घरेलू बिक्री कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य पर विचार किया है।

थाइलैण्ड में सामान्य मूल्य

18. आवेदक ने यह अनुरोध किया है कि थाइलैण्ड में समान उत्पादन के लिए तुलनीय कीमत प्राप्त करने के वास्ते प्रयास किये गये थे। हालांकि, स्थानीय बाजार में बिक्री के लिए कीमत सूची अथवा वाणिज्यिक बीजक जो वाणिज्यिक रूप से संवदेनशील और गोपनीय प्रकृति का है, आवेदक को तत्काल उपलब्ध नहीं थे। इसके अलावा, जांच की अवधि के दौरान प्रचलित घरेलू बिक्री कीमत के संबंध में साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं था। हालांकि, आवेदक ने थाइलैण्ड में संबद्ध वस्तुओं की आयात कीमत के संबंध में साक्ष्य प्राप्त किया है जो धारा 9क (1)(ग) के अनुसार व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में संबद्ध देश में समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत है।

19. वर्तमान जांच की शुरुआत के उद्देश्य से, प्राधिकारी ने थाइलैंड में संबद्ध वस्तुओं की आयात कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य पर विचार किया है जो व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में संबद्ध देश में समान वस्तु का तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत है।

च. निर्यात कीमत

20. संबद्ध देशों के संबद्ध वस्तु के वास्ते निर्यात कीमत का परिकलन वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकीय महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) के लेन देन वार आंकड़ों के आधार पर किया गया है। कीमत समायोजन समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतर्देशीय भाड़ा खर्च, पोर्ट खर्च, बैंक शुल्क और हैंडलिंग के लिए किया गया है।

छ. पाटन मार्जिन

21. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत जिनका निर्धारण ऊपर में किया गया है पर विचार करते हुए, निर्धारित पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम स्तर से ऊपर बल्कि बहुत अधिक भी है। इस बात का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं का सामान्य मूल्य निवल निर्यात कीमत से बहुत अधिक हद तक उच्चतर है, जिसके द्वारा यह दर्शाया है कि संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यात किये गये संबद्ध वस्तुओं का पाटनरोधी शुल्क लागू रहने के बावजूद पाटित कीमतों पर निर्यात किया जाना जारी है।

ज. पाटन और क्षति के जारी रहने / उसके फिर से होने की संभावना

22. शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने/ उसके फिर से होने की संभावना का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों की कीमत और लगातार बहुत अधिक आयात की मात्राओं पर विचार करते हुए संबद्ध देशों में उपयोग न की गई बहुत अधिक क्षमताएं और बढ़ी हुई क्षमताएं, निर्यातकों का निर्यात उन्मुखीकरण, बंगलादेश और थाइलैण्ड पर अन्य देशों द्वारा लगाये गये पाटनरोधी शुल्क और भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता का प्रथमदृष्टया साक्ष्य है। यह प्रथम दृष्टया नोट किया गया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने/ उसके फिर से होने की संभावना है।

झ. निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत

23. घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और घरेलू उद्योग द्वारा घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति तथा संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यात किये गये विचाराधीन उत्पाद के पाटन के जारी रहने/ उसके फिर से होने की संभावना की पुष्टि करते हुए घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर अपने आप को संतुष्ट करने के बाद और इस नियमावली के नियम 23 (1ख) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार, प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यात किये गये संबद्ध वस्तुओं के संबंध में लागू शुल्कों को लगातार लगाये रखने की आवश्यकता की समीक्षा और इस तथ्य की जांच करने के क्या इस प्रकार के शुल्क के समाप्त होने के फलस्वरूप घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना है, निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत करते हैं।

ञ. संबद्ध देश

24. वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच के लिए बंगलादेश और थाइलैण्ड है।

ट. जांच की अवधि (पी ओ आई)

25. आवेदक ने 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक की अवधि (12 महीने) का प्रस्ताव किया है। क्षति जांच अवधि 2017-18, 2018-19, 2019-20 की अवधियां और जांच अवधि के रूप में मानी गई है।

ठ. प्रक्रिया

26. समीक्षा जांच में संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने की सिफारिश करते हुए दिनांक 14 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 28/2017 – सीमा शुल्क (ए डी डी) और दिनांक 17 अप्रैल, 2018 की अधिसूचना सं. 14/3/2015 – डी जी ए डी के संदर्भ में प्रकाशित अंतिम जांच परिणामों के सभी पहलू शामिल होंगे। प्राधिकारी यथाअपेक्षित पाटन और क्षति का संभावना विश्लेषण भी करेंगे।

27. उपर्युक्त नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान भी इस समीक्षा में आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

ड. सूचना प्रस्तुत करना

28. कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न विशेष परिस्थितियों को देखते हुए, सभी संप्रेषण प्राधिकारी को ई-मेल पतों adg15-dgtr@gov.in,adv12-dgtr@gov.in, jd13-dgtr@gov.in, और dd15-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए।

29. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से उनकी सरकारों, संबद्ध वस्तुओं से जुड़े भारत में ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को उन्हें नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित रूप में और तरीके से सभी संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए उन्हें सक्षम बनाने के वास्ते पृथक रूप से सूचित किया जा रहा है।

30. कोई भी अन्य हितबद्ध पक्षकार नीचे निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्धारित रूप में और तरीके से इस जांच से संगत अपने अनुरोध कर सकते हैं।

31. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाला पक्षकार से यह अपेक्षित है कि वह उसका अगोपनीय रूपांतर अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराये।

ढ. समय सीमा

32. कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर ई मेल पतों adg15-dgtr@gov.in, adv12-dgtr@gov.in, jd13-dgtr@gov.in, और dd15-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। हालांकि, यह नोट किया जाये कि उक्त नियमावली के स्पष्टीकरण के संदर्भ में, सूचना और अन्य दस्तावेज मनाने संबंधी नोटिस के बारे में यह माना जायेगा कि यह उस तिथि से जब इसे प्राधिकारी द्वारा निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को भेजा गया था अथवा संप्रेषित किया गया था, से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हो गया है। यदि कोई सूचना निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त नहीं होती है तब अथवा प्राप्त सूचना पूरी नहीं हो, प्राधिकारी इस नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

33. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान जांच में अपने अनुरोध (अनुरोध की प्रकृति सहित) की सूचना दें और उपुर्यक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर/ अनुरोध प्रस्तुत करें।

ण. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

34. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने अथवा गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकार से यह अपेक्षित है कि वे इस नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी किए गए व्यापार नोटिसों के संदर्भ में उसका एक अगोपनीय रूपांतर साथ ही साथ प्रस्तुत करें। उपर्युक्त का पालन नहीं करने के फलस्वरूप उत्तर/ अनुरोधों को अस्वीकार किया जा सकता है।

35. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/ अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय रूपांतर अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

36. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" स्पष्ट रूप से अंकित होना ही चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे ।

37. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/ अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

38. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रस्तु करने वाला पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नही है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया ही जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।

39. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

40. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

41. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

त. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

42. इस नियमावली के नियम 6(7) के संबंध में कोई हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतर वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकते हैं । इलैक्ट्रोनिक मोड में सार्वजनिक फाइल की रूपात्मकता निर्धारित की जा रही है ।

थ. असहयोग

43. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनंत स्वरूप, संयुक्त सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 13th September, 2021

Case No. AD (SSR)–18/2021

Subject : Initiation of sunset review investigation concerning imports of "Hydrogen Peroxide" originating in or exported from Bangladesh and Thailand.

F. No. 7/22/2021-DGTR.—M/s. National Peroxide Limited (hereinafter also referred to as the "applicant" or "petitioner") has filed an application seeking initiation of sunset review investigation in respect of the anti-dumping duty imposed on the imports of "Hydrogen Peroxide" (hereinafter also referred to as the "subject goods" or "product under consideration"), originating in or exported from Bangladesh and Thailand (hereinafter also referred to as "subject countries") before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the "Authority") in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Act") and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Rules").

2. In terms of Section 9A (5) of the Act, anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In accordance with the same, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

3. The applicant has alleged that the dumping of the subject goods from the subject countries has continued even after the imposition of the anti-dumping duty and that there is likelihood of continuation/recurrence of the dumping and injury in the case of cessation of the duties. The applicant has requested for extension of the duties on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries.

4. The applicant has provided the relevant information in the petition. The petition has been examined for sufficiency of the information and the evidence of the dumping and the consequent injury to justify initiation of investigation. Since the petition is duly documented and contains sufficient prima facie evidence of likelihood of the dumping and the injury if the existing duty is allowed to expire, the Authority initiates the sunset review investigation of the anti-dumping duty already imposed on the imports of the subject goods originating and exported from the subject countries.

A. Background

5. The original anti-dumping investigation concerning the imports of the subject goods from Bangladesh, Taiwan, Korea RP, Indonesia, Pakistan and Thailand was initiated by the Authority vide Notification No. 14/3/2015-DGAD dated 14th January, 2016 by the Authority. The final findings were issued by the Authority vide Notification no. 14/03/2015-DGAD dated 11th April, 2017 whereby the Authority found that the subject goods imported from all the subject countries, except Indonesia, are being dumped into India and injuring the domestic industry. On the basis of the recommendations made by the Authority in the final findings, definitive anti-dumping duty was imposed by the Central Government vide Notification No. 28/2017-Customs (ADD) dated 14th June, 2017 on the imports of the subject goods, originating in or exported from Bangladesh, Taiwan, Korea, Pakistan and Thailand for a period of five years from the date of the Notification.

6. The said findings were challenged before the Hon'ble CESTAT. In pursuance of the CESTAT order No. 58470-58474/2017 dated the 20th December, 2017, the Authority vide its final findings Notification No. 14/3/2015-DGAD dated 17th April, 2018, re-determined the Non-Injurious Price (NIP) and recommended the revised anti-dumping duty on the import of Hydrogen Peroxide originating in or exported from the subject countries. On the basis of the recommendations made by the Authority in the final findings, revised anti-dumping duty was imposed by the Central Government vide Notification No. 33/2018-Customs dated 01st June, 2018 on the imports of the subject goods, originating in or exported from Bangladesh, Taiwan, Korea, Pakistan and Thailand for a period of five years with effect from 14th June, 2017. The existing duties will expire on 13th June, 2022.

7. The domestic industry has filed the present application for sunset review investigation to seek the continuation of duty only on imports from Bangladesh and Thailand.

B. Product under consideration

8. The product under consideration in the present investigation is "Hydrogen peroxide of concentration below 90%". Hydrogen peroxide can be produced in different concentrations. The product under consideration is sold in both loose and packed conditions. Commercially, the product is produced and sold in 35%, 50%, 60% and 70% concentration. It is generally produced and sold on 50% basis. Hydrogen Peroxide (H2O2) is produced through the process of hydrogenation. At the first stage, the process results in H2O2 with concentration level of around 45% - 46%. Rest is water.

9. The product is distilled to obtain the required concentration of H2O2. Commercially, the product is produced and sold in 35%, 50%, 60% and 70% concentration. H2O2 is an extremely hazardous/ material. Therefore, from safety point of view, the concentration should be as low as possible. However, transportation of lower concentration means paying additional freight on transportation of water. Therefore, from a commercial point of view, concentration level should be as high as possible.

10. Hydrogen peroxide has strong oxidizing properties and is therefore a powerful bleaching agent that has found use as a disinfectant, as an oxidizer, and in rocketry (particularly in high concentrations as high – test peroxide (HTP) as a monopropellant) and in bipropellant systems and finds application in odour control, corrosion control, inorganic and organic oxidation, toxicity reduction/ biodegradability improvement, disinfection/bio-control, paper and pulp bleaching, manufacture of peroxides and epoxides, therapeutic uses as an antiseptic and antibacterial agent.

11. Hydrogen Peroxide is classified under Chapter 28 under sub heading 28470000 of Customs Tariff Act, 1975. It is also to be noted that the customs classification is indicative only and in no way, it is binding on the scope of the investigation.

12. The present petition being for sunset review investigation, as per the settled jurisprudence and the past practices of the Authority, the product under consideration remains the same as defined in the original investigation.

13. The applicant has proposed for the adoption of Product Control Numbers (PCNs) considering concentration, packing material, price basis and customer location/region of delivery (north, south, east and west). The PCN parameters and the values are explained below. The interested parties, however, can provide their comments/suggestions for the finalization of PCNs for the purpose of this investigation within 15 days from the date of the initiation of this investigation.

Sl. No.	Field Description	Specification
1	Concentration	35%
		50%
		60%
		70%
2	Price basis	Delivered
		Ex-factory
3	Packing	Loose
		Packed
4	Region of delivery	North
		South
		East
		West

C. Like article

14. The applicant has claimed that the goods produced by the domestic industry are identical to the subject goods exported from the subject country to India. The subject goods produced by the domestic industry are comparable to the imported goods from subject country in terms of technical specifications, manufacturing process & technology, functions & uses, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable and should be treated as 'like article' under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the domestic industry are being treated as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject country.

D. Domestic industry & standing

15. The application has been filed by M/s. National Peroxide Limited. It is supported by (i) M/s Indian Peroxide Limited; (ii) M/s Hindustan Organic Chemicals Limited; (iii) M/s Gujarat Alkalies and Chemicals Limited; (iv) M/s Meghmani Finechem Limited and (v) M/s Chemplast Sanmar Limited. The applicant has claimed that it has neither imported the subject goods from the subject countries nor is related to any exporter or producer of subject goods in the subject countries or any importer of the PUC in India.

16. As per evidence available on record, the applicant account for a major proportion in the domestic production of the like article in India. In view of the above and after due examination, the Authority notes that the applicant constitutes eligible domestic industry in terms of Rule 2 (b), and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules supra.

E. Normal Value

Normal Value in Bangladesh

17. The applicant has obtained the transactions wise price of the subject goods from the domestic tariff area to the special economic regions within Bangladesh. For the purpose of the present initiation, the Authority has considered the normal value on the basis of the domestic selling price in the subject country by adopting the prices of the transactions from the domestic tariff area to the special economic regions within Bangladesh.

Normal value in Thailand

18. The applicant has submitted that efforts were made to obtain the comparable price for the like product in Thailand. However, the price lists or the commercial invoices for the sales in the local market, being commercially sensitive and confidential in nature, were not readily available to the applicant. Further, the evidence with regard to the domestic selling price prevailing during the period of investigation was also not available. However, the applicant has obtained the evidence regarding the import price of the subject goods in Thailand, which is a comparable representative price of the like article in the subject country in the ordinary course of trade as per Section 9A (1)(c).

19. For the purpose of the present initiation, the Authority has considered the normal value on the basis of the import price of the subject goods in Thailand, which is a comparable representative price of the like article in the subject country in the ordinary course of trade.

F. Export Price

20. The export price for the subject goods for the subject countries has been computed based on Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) transaction-wise import data. The price adjustments have been made for ocean freight, marine insurance, commission, inland freight expenses, port expenses, bank charges and handling.

G. Dumping Margin

21. Considering the normal value and the export price determined as above, the dumping margin determined is not only above de-minimis level but also significant. There is prima facie evidence that the normal value of the subject goods in the subject countries is significantly higher than the net export price, thereby indicating that the subject goods originating in or exported from the subject countries have continued to be exported at the dumped prices, in spite of the antidumping duty in force.

H. Likelihood of continuation / recurrence of dumping and injury

22. There is prima facie evidence of the likelihood of continuation/recurrence of the dumping and the injury to the domestic industry in the event of cessation of duty, considering the continued significant import quantities and the price of the imports of the subject goods from the subject countries; increased and significant unutilized capacities in the subject countries; export orientation of the exporters; the anti-dumping duties imposed by the other countries on Bangladesh and Thailand and the price attractiveness of the Indian market. It is prima facie noted that there is likelihood of continuation/recurrence of the dumping and the injury to the domestic industry in the event of cessation of the anti-dumping duty.

I. Initiation of the sunset review investigation

23. On the basis of the duly substantiated written application by and on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself on the basis of the prima facie evidence submitted by the domestic industry, substantiating likelihood of continuation/recurrence of dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject countries and consequent injury to the domestic industry, and in accordance with Section 9A(5) of the Act read with Rule 23(1B) of the Rules, the Authority, hereby, initiates the sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject countries and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of the dumping and the injury to the domestic industry.

J. Subject Countries

24. The subject countries for the present sunset review investigation are Bangladesh and Thailand.

K. Period of Investigation (POI)

25. The applicant has proposed the period from 1st April, 2020 to 31st March, 2021 (12 months). The injury investigation period has been considered as the period 2017-18, 2018-19, 2019-2020 and the POI.

L. Procedure

26. The review investigation will cover all aspects of the final findings published vide Notification No. 28/2017-Customs (ADD) dated 14th June, 2017 and Notification No. 14/3/2015-DGAD dated 17th April, 2018, recommending imposition of anti-dumping duty on the imports of the subject goods from the subject countries. The Authority will also undertake the likelihood analysis of the dumping and the injury as required.

27. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rules supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

M. Submission of Information

28. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Authority via email at the email addresses adg15-dgtr@gov.in, adv12-dgtr@gov.in, jd13-dgtr@gov.in, and dd15-dgtr@gov.in.

29. The known producers/exporters in the subject countries, their governments through their Embassies in India, the importers and users in India known to be connected with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time limit set below.

30. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within in the time limit set out below.

31. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to other interested parties.

N. Time Limit

32. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, any information relating to the present investigation should be sent to the Authority via email at the email addresses adg15-dgtr@gov.in, adv12-dgtr@gov.in, jd13-dgtr@gov.in, and dd15-dgtr@gov.in within 30 days from the date of the receipt of the notice as per rue 6 (4) of the Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rules, the notice calling for information and other documents shall be deemed to be have been received within one week from the date on which it was sent by the Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its finding on the basis of the facts available on records in accordance with the Rules.

33. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant investigation and file their questionnaire response/submissions within the above time limit.

O. Submission of information on confidential basis

34. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.

35. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto) before the Authority, including questionnaire response, are required to file confidential and non-confidential versions separately.

36. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority and the Authority shall be a liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.

37. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which is claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

38. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

39. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

40. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

41. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

P. Inspection of Public File

42. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. The modality of maintaining public file in electronic mode is being worked out.

Q. Non-cooperation

43. In case where an interested party refuses access to or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Jt. Secy. & Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.09.13 22:40:23 +05'30'